न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 54 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023 / 43

अपीलाण्ट्स		रेस्पोन्डेन्ट
चम्पालाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज. हाल निवासी : 405, मथुरा कोम्पलेक्स, नम्बर,02 बी.पी. क्रॉस रोड नजदीक गुरु कृपा हॉस्पिटल, भायंदर ईस्ट, ठाणे (महाराष्ट्र)	बनाम	राजस्थान सरकार सरकार जरिय भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी जिला–पाली (राज)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध ग्राम मोरखा के नामांतरकरण संख्या 801 दिनांक 21.02.2022 जो तहसीलदार, देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया

उपस्थिति : अधिववता अपीलार्थी उपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांक: 15.03.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक अपील अपीलार्थी चंपालाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी बाली तहसील बाली ने अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध ग्राम मोरखा के नामांतरकरण संख्या 801 जो तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 21.02.2022 को स्वीकृत किया गया।

प्रस्तुत अपील अनुसार ग्राम मोरखा में स्थित राजस्व भूमि खसरा नम्बर 171 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर में से 1 / 24 हिस्सा सह खातेदार ने श्रीमती शांति बाई धर्मपत्नी मोहनलाल माली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेख उप पंजीयक कार्यालय देसूरी में दिनांक 23.11.2021 को क्रय की। उक्त रजिस्टर्ड विकावनामें के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 801 दायर किया गया जिसमें क्रेता का नाम चंपालाल सोहनलाल के स्थान पर चंपालाल मोहनलाल दर्ज कर दिया गया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार देसूरी द्वारा ग्राम मोरखा तहसील देसूरी के नामांतरकरण संख्या 801 दिनांक 21 फरवरी 2022 को निरस्त करते हुए चंपालाल पुत्र मोहनलाल के बजाय चंपालाल पुत्र सोहनलाल अंकित किये जाने के आदेश फरमाए।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार देसूरी को नोटीस जारी किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा मूल रिकॉर्ड भिजवाया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपील प्रार्थना पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेख, रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया और पाया कि क्रेता चंपालाल पुत्र सोहनलाल के स्थान पर चंपालाल पुत्र मोहनलाल दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। अतः ग्राम मोरखा तहसील देसूरी के नामांतरकरण संख्या 801 को निरस्त करते हुए तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विकाव नामें के आधार पर सही नामांतरकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, देसूरी को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

15/3/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

CS CamScanner